

व्यय की पूर्व-अदायगी
के दिनांक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/5000 पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564

भोपाल, गुस्वार, दिनांक 26 सितम्बर 1991--आश्विन 4, शके 1913.

20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 1991

क्र. एफ-8(1)-90-20सूत्र-तेतालीस.—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

- संक्षिप्त नाम.—इत नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991 है.
- परिभाषाएं.—इत नियमों में, जब तक संदर्भ वे अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का ‘कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) ;
 - “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.
- आरक्षण.—कुल सदस्यों में से कम से कम —
 - (एक) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रहेगा.
 - (दो) प्रत्येक खण्ड स्तरीय समिति में महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रहेगा.
 - (तीन) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रहेगा.
 - (चार) राज्य स्तरीय समिति में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों में से प्रत्येक के लिए पाँच-पाँच पद आरक्षित रहेंगे.
- आवृत्तिक रिक्ति.—ग्राम पंचायत, खण्ड, जिला और राज्य स्तरीय समितियों के किसी सदस्य की मृत्यु, उनका हटाना पद त्याग या उसका निरहता पर या उसकी पदावधि पूर्ण होने के पूर्व उसके कार्य करने में असमर्थ हो जाने के कारण, ऐसे पद में आवृत्तिक रिक्ति हुई मानी जाएगी, और ऐसा रिक्ति तथामाध्यमों से भरी जाएगी.

5. सदस्यों की निरहंता.—कोई भी व्यक्ति किसी भी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि—

- (एक) वह राज्य का अधिवासी न हो और उसका नाम उस समिति की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र की नवीनतम मतदाता सूची में दर्ज न हो.
- (दो) वह स्वस्थ चित्त न हो, और उसे वर्ष 1947 के पश्चात् किसी अपराध के लिए, 3 मास से अधिक की अद्विधि के लिए दोष-सिद्ध न किया गया हो.
- (तीन) उसका राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में कोई धन संबंधी हित न हो या उसने उनके साथ कोई संविदा संकर्म न की हो.

6. यात्रा भत्ता.—(एक) ग्राम पंचायत और खण्ड स्तरीय समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी समिति के मुख्यालयों पर समिति के सम्मिलनों में हाजिर होने हेतु यात्रा तथा दैनिक भत्तों के लिए उन दरों पर हकदार होगा जो मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के अधीन राज्य सरकार के "ख" श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों को लागू है.

(दो) जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समिति का प्रत्येक सदस्य संबद्ध समितियों के मुख्यालयों पर सम्मिलनों में हाजिर होने हेतु यात्रा तथा दैनिक भत्ते के लिए उन दरों पर हकदार होगा जो मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के अधीन राज्य सरकार के "क" श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों को लागू है.

7. समितियों के सम्मिलन.—(एक) ग्राम पंचायत स्तरीय, खण्ड स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का सम्मिलन उस समिति के मुख्यालय पर अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित तारीख और समय पर एक मास में कम से कम एक बार होगा और साधारणतः एक मास में दो से अधिक सम्मिलन नहीं होंगे. राज्य स्तरीय समिति साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार सम्मिलन करेंगी. सुसंगत समिति का सचिव सम्मिलन की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व कार्यसूची की प्रति सहित एक सूचना सदस्यों को डाक द्वारा भेजेगा और उसे अपने कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित करेगा.

(दो) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति के प्रत्येक सम्मिलन में, सभापति और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

(तीन) राज्य स्तरीय समिति से भिन्न समितियों के प्रत्येक सम्मिलन में, अस्थिति सभापति या उप सभापति अध्यक्षता करेंगे और दोनों की अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक का चयन करेंगे.

8. विशेष या आपात सम्मिलन बुलाने की सभापति की शक्ति.—किसी भी समिति का सभापति कम से कम सात कार्य-दिनों की सूचना देकर समिति का विशेष या आपात सम्मिलन बुला सकेगा अन्यथा सदस्यों पर सूचना की तामील विशेष याहकों द्वारा की जायेगी तभी प्रत्येक किसी समिति या आपात या विशेष सम्मिलन समिति के कम से कम एक निर्धारित सदस्यों के अनुरोध पर भी बुलाया जा सकेगा.

9. गणपूर्ति.—(एक) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सम्मिलन के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से, खण्ड स्तरीय समिति के लिए गणपूर्ति सात सदस्यों से, जिला स्तरीय समिति के लिए गणपूर्ति न्यारह सदस्यों से होगी. राज्य स्तरीय समिति के लिए कोई गणपूर्ति नहीं होगी.

(दो) यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को ऐसी तारीख और ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर देगा जैसा उसके द्वारा नियत किया जाए. इस प्रकार स्थगित किए गए सम्मिलन की सूचना समिति के सचिव के कार्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित की जाएगी.

ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और कोई नया विषय ऐसे सम्मिलन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा.

10. बृहत्तम द्वारा विनिश्चय.—समिति के किसी भी सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत किये गए सभी विषयों पर विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बृहत्तम से किया जाएगा. मत बराबर होने की दशा में सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी का निर्णयिक भू-होगा.

11. सम्मिलनों में अनुपस्थिति.—यदि कोई सदस्य अपनी अनुपस्थिति का वाञ्छित कारण बताने वाली सूचना दिये बिना समिति के सम्मिलनों में असाधारण तीन अवसरों पर अनुपस्थित रहता है तो वह अपने आप ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

12. कार्य-दिनों के अभाव.—(एक) समितियों के प्रत्येक सम्मिलनों की कार्य-कार्यक्रम प्रयोग के लिए प्रत्येक कार्य-दिन पर समिति के सम्मिलन की सभापति पर यथासाध्य जोश्र सामान्य का पीठासीन प्राधिकारी कार्य-दिनों सूचना पर कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी.

(दो) सभापति के आगामी सम्मिलन में समिति के समक्ष कार्य-दिन सूचना उसके अनुपस्थित के लिए प्रस्तुत की जाएगी.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 1991

क्र. एफ. 8(1)-90-20 सूत्र-तंतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुराण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8(1)-90-20 सूत्र-तंतालीस, दिनांक 26 सितम्बर 1991 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. सी. सन, सचिव.

Bhopal, the 26th September 1991

No. F. 8(1)-90-20 Pt.-XLIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanavayan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991), the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1. **Short title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanavayan Niyam, 1991.
2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanavayan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991);
 - (b) “Section” means a section of the Act.
3. **Reservation.**—Out of the total number of members at least—
 - (i) One each shall be reserved for Woman, Scheduled Caste/Scheduled Tribe members in every Gram Panchayat Level Committee.
 - (ii) One each shall be reserved for Woman, Scheduled Caste/Scheduled Tribe members in each of the Block Level Committee.
 - (iii) One each shall be reserved for Woman, Scheduled Caste and Scheduled Tribe members in each of the District Level Committee.
 - (iv) Five each shall be reserved for Women, Scheduled Caste and Scheduled Tribe members in the State Level Committee.
4. **Casual Vacancy.**—In the event of death, resignation or disqualification of any of the members of the Gram Panchayat, Block, District and State Level Committees or on his becoming incapable of acting before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office, and such vacancy shall be filled as soon as practicable.
5. **Disqualification of Members.**—No person shall be nominated as a member of any of the Committees unless—
 - (i) he is a domicile of the State and his name is entered in the latest voters list of the area under the jurisdiction of that Committee.
 - (ii) he is of sound mind and has not been convicted for a term exceeding 3 months for any offence after the year 1947.
 - (iii) he has no pecuniary interest or has not entered into any contract work under the Government or Public Sector Undertakings under the State Government.
6. **Travelling Allowance.**—(i) Every member of the Gram Panchayat and Block Level Committee shall be entitled to TA and DA at the rates applicable to officials of the State Government categorised in ‘Grade-B’ under the Madhya Pradesh Travelling Allowance Rules for attending meetings of the Committee at the headquarters of the respective Committee.
- (ii) Every member of the District Level and State Level Committee shall be entitled to TA and DA at the rates applicable to officers of the State Government categorised in ‘Grade-A’ under the Madhya Pradesh Travelling Allowance Rules for attending meetings at the headquarters of the respective Committee concerned.

7. **Meetings of the Committees.**—(i) The Gram Panchayat, Block and District Level Committees shall meet at least once in a month, and ordinarily not more than twice in a month, at the headquarters

of that Committee on a date and time decided by the Chairman. The State Level Committee shall meet ordinarily, at least twice in a year. The Secretary of the relevant Committee shall send a notice along with a copy of agenda fifteen days before the date of the meeting to the members by post and also exhibit the same at the Notice Board of his office.

(ii) At every meeting of the Committees referred in sub-rule (1), the Chairman and in the absence the Vice-Chairman shall preside over the meeting.

(iii) At every meeting of the Committees other than State Level Committee, the Chairman or the Vice-Chairman as the case may be shall preside and in the absence of both, the members present shall choose one from among themselves to preside over the meeting.

8. **Power of the Chairman to call a Special or Emergency Meeting.**—The Chairman of any of the Committees may call a Special or Emergency meeting of the Committee by giving a notice of at least seven working days, otherwise the notice shall be served on the members by special messengers. Likewise an Emergency or Special meeting of the Committee may also be called at the instance of at least one-third of the members of the Committee.

9. **Quorum.**—(i) The quorum for meeting of the Committee at the Gram Panchayat Level shall be three and at the Block Level it shall be seven, and at the District Level the same shall be eleven. There shall be no quorum for the State Level Committee.

(ii) If there is no quorum at the meeting, the presiding authority shall adjourn the meeting to such date and time as may be fixed by him. A notice of the meeting so adjourned shall be exhibited on the Notice Board of the office of the Secretary of the Committee.

No quorum shall be necessary for such postponed meeting and no new subject for consideration may be brought before such meeting.

10. **Decision by Majority of Votes.**—All matters brought before any meeting of a Committee shall be decided by a simple majority of votes of the members present and voting. In case of equality of votes, the presiding authority at the meeting shall have a casting vote.

11. **Absence from Meetings.**—Any member who absents himself from the meetings of a Committee on three consecutive occasions, without notice of the excuse, shall automatically cease to be a member of such Committee.

12. **Minutes.**—(i) The proceedings of the meetings of each of the Committees shall be recorded in a Minute Book to be maintained for this purpose. The presiding authority of the meeting shall sign the minute book as soon as practicable after the meeting is over.

(ii) The minute book shall be placed before the Committee in its next meeting for its approval.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

P. C. SEN, Secy.